

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 265]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 अप्रैल 2010—वैशाख 2, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्र. डी-15-47-2007-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-47-2007-चौदह-3, दिनांक 16 सितम्बर 2009 के द्वारा राज्य सरकार ने छिन्दवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील के विकासखण्ड, हरई एवं अमरवाड़ा में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय विक्रय को विनियमन करने के लिये अमरवाड़ा में मण्डी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा की थी.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में छिन्दवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील के विकासखण्ड, हरई एवं अमरवाड़ा में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वनग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय विक्रय का विनियमन करने के लिए अमरवाड़ा में एक मण्डी स्थापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्र. डी-15-47-2007-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2010

No. D-15-47-2007-XIV-3.—WHEREAS, by this Department Notification No. D-15-47-2007-XIV-3, dated 16th September 2009 issued under the provision at sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government had declared its intention to establish a market at Amerwada for regulating the purchase and sale of the Agricultural produce mentioned in the Schedule of the Act, in Revenue and Forest Villages of the area of Development Block Harai and Amerwada in Tehsil Amerawada of District Chhindwara.

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby establish a market at Amerwada of Tehsil Amerwada of District Chhindwara including in Revenue and Forest Villages of the area of development block and Tehsil of Harai and Amerwada for regulating the purchase and sale Agricultural produce mentioned in the Schedule of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्र. डी-15-2007-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-13-95-चौदह-3, दिनांक 10 नवम्बर 1995 द्वारा कृषि उपज मंडी चौरई में समाविष्ट छिन्दवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील के विकासखण्ड अमरवाड़ा, हरई एवं चौरई के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मण्डी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है) उक्त अधिसूचना में उल्लेखित कृषि उपजों के क्रय विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-47-2007-चौदह-3, दिनांक 16 सितम्बर 2009 द्वारा छिन्दवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील के विकासखण्ड अमरवाड़ा एवं हरई में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करके उक्त मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने का आशय संज्ञापित किया था.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना का "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से "उक्त मंडी क्षेत्र" को छिन्दवाड़ा जिले की अमरवाड़ा तहसील के विकासखण्ड अमरवाड़ा एवं हरई के "उक्त क्षेत्र से" विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय की संज्ञापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्र. डी-15-2007-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2010

No. D-15-47-2007-XIV-3.—WHEREAS, by this Department Notification No. D-15-13-95-XIV-3, dated 10th November 1995 issued under the provision of sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification for Krishi Upaj Mandi Chouri in the area comprised of development block Amarwada, Harai and Chourai in Amarwada Tehsil of Chhindwara District (here in after referred to as the "said market area").

AND, WHEREAS, by this department Notification No. D-15-47-2007-XIV-3, dated 16th September 2009 issued under the provision of clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government has signified its intention to alter the limit of the "said market area" by splitting up there from the area comprising of development block Amarwada and Harai in Chhindwara District (herein after referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby signifies its intention to alter the limit of the "said market area" by splitting up there from the area comprising of development block Amarwada and Harai in Chhindwara District with effect from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्र. डी-15-47-2007-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अप्रैल 2010 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति अमरवाड़ा के अन्तर्गत मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

स्थान

नगरपालिका अमरवाड़ा, तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 6.741 हेक्टर भूमि का क्षेत्र:—

क्रमांक (1)	खसरा क्रमांक (2)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (3)
1	168/2	0.381
2	169/04, 170/08, 171/4	1.382
3	169/5, 170/9, 171/5	1.436
4	169/6, 170/10, 171/6	0.490
5	170/2, 580/1, 589/2	1.952
6	590/7	1.100
योग . .		6.741

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—श्री खुशनयन एवं अन्य की भूमि.

दक्षिण में—श्री होलू अजू एवं अन्य की भूमि.

पूर्व में—शासकीय भूमि.

पश्चिम में—श्री शिवनारायण एवं अन्य की भूमि.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्र. डी-15-47-2007-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2010

No. D-15-47-2007-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosoure, open places or locality in the market area for which a market at Amarwada has been established by this departments Notification even No. dated 22nd April 2010 shall be the market yeard namely:—

PLACE

An area of 6-741 Hectare land of below mentioned Khasra number at Nagar Palica Amarwada in Tehsil Amarwada of District Chhindwara:—

S. No. (1)	Khasra No. (2)	Area (In Hectors) (3)
1	168/2	0.381
2	169/04, 170/08, 171/4	1.382
3	169/5, 170/9, 171/5	1.436
4	169/6, 170/10, 171/6	0.490
5	170/2, 580/1, 589/2	1.952
6	590/7	1.100
		Total . . 6.741

BOUNDED BY

On the North by—Land of Shri Khushnayan & others.

On the South by—Land of Shri Holu Ajjju & others.

On the East by—Government Land.

On the West by—Land of Shri Shivnarayan & others.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्र. डी-15-47-2007-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-4-2010 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र अमरवाड़ा के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) नगरपालिका अमरवाड़ा तहसील अमरवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलो मीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

- (1) अमरवाड़ा (2) सुखारी खुर्द (3) पिपरिया राज (4) सुखारी कला (5) खमरा राजाराम (6) बरडोरी (7) करबडोल (8) हिवरा (9) कूदवारी (10) कोपाखेड़ा (11) चनेरी (12) चिखली (13) बरधिया (14) रानीकामथ (15) थावरी कला (16) सकरवाड़ा (17) झगड़ाबोह.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2010

क्र. डी-15-47-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 22nd April 2010

No. D-15-47-2007-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare that in the relation to the market yard declare vide this department notification even number dated 22nd April 2010 the following area of Amarwada shall be market yard namely:—

AREA

- (1) An area within the limit of Nagar Palica Amarwada in Tehsil Amarwada of District Chhindawada.
- (2) An area comprising of the following villages within the redious of 5 Kilometers from the market yard namely:—

- (1) Amarwada (2) Sukhaari Kurd (3) Pipariya Raj (4) Sukhaari kala (5) Khamra Rajaram (6) Bardori (7) Karabdol (8) Hivra (9) Kudwari (10) Kopakheda (11) cheneri (12) chikhali (13) Bardhiya (14) Ranikamatha (15) Thawari Kala (16) Sakarwada (17) Jhagraboh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. S. BAGHEL, Addl. Secy.